

राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

क्रमांक :- एफ.वी.1() निगो/संस्था/2015-16/ 1414-47,

दिनांक :- 23.02.2017

समस्त जिला संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग एवं
सहायक रजिस्ट्रार गौशाला एवं
उप निदेशक, पशुपालन विभाग
कूचामनसिटी (राजस्थान)।

विषय :- गौशालाओं में सम्बद्ध नोडल अधिकारियों द्वारा नियमित भ्रमण बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले में संचालित प्रत्येक गौशाला के लिए आपके द्वारा नोडल पशु चिकित्सा अधिकारी नामित किया जाकर सूचना निदेशालय गोपालन को भिजवाई गई है। नोडल अधिकारी संबंधित उक्त सूचना का प्रदर्शन निदेशालय के वेब पोर्टल www.gopalan.rajasthan.gov.in पर किया जा चुका है जिसका अवलोकन करालें तथा स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से यदि नोडल अधिकारी परिवर्तित हुआ हो तो नोडल अधिकारी की सूचना तत्काल निदेशालय को भिजवावें ताकि सूचना अपडेट की जा सके।

अधोहस्ताक्षरकर्ता तथा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा जिलों व गौशालाओं के भ्रमण के दौरान कतिपय जिलों से यह फीडबैक प्राप्त हुआ है कि उक्त नोडल अधिकारी सम्बन्धित गौशालाओं का ना तो नियमित भ्रमण कर रहे हैं तथा ना ही संधारित गौवंश का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, टीकाकरण आदि कार्य कर रहे हैं।

अतः नोडल पशु चिकित्सा अधिकारी को सप्ताह का एक दिन गुरुवार या शुक्रवार में से निर्धारित कर सम्बद्ध गौशाला का आवश्यक रूप से भ्रमण व निरीक्षण कर निम्न कार्य कराया जाना सुनिश्चित करावें :-

1. गौवंश संधारण रजिस्टर प्रपत्र-5 के अनुसार टैगिंग की जांच/गौवंश भौतिक सत्यापन व निरीक्षण।
2. स्टॉक रजिस्टर प्रपत्र-6 के अनुसार चारा भण्डार/पशुआहार (स्टॉक) वेरिफिकेशन।
3. समस्त पशुओं का पशु स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण/कृमिनाशक दवा पिलाना।
4. आवश्यकतानुसार बीमारियों का उपचार एवं सामान्य चिकित्सा कार्य।
5. नस्ल सुधार हेतु बधियाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं।
6. बांझ पशुओं का उपचार।
7. गौशालाओं में पशुओं का वर्गीकरण करना, जैसे छोटे, बड़े, अंधे/विकलांग/अपंग गौवंश, नर, मादा, दुधारू पशु, सूखे पशु, गर्भित पशु, सांड इत्यादि।
8. गौशाला स्वावलम्बी बनाने हेतु नस्ल संवर्धन एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित कार्य।


शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.वी.1() निगो/संस्था/2015-16/ 1448-57,

दिनांक :- 23.02.2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।


शासन उप सचिव